

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं०-159 वर्ष 2020

सरवन कुमार मेहता

उर्फ श्रवण कुमार मेहता

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

..... विपक्षी पक्ष।

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के० गुप्ता

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री महादेव ठाकुर, अधिवक्ता

राज्य के लिए:- श्री सौमेश्वर रे, ए०पी०पी०

05/दिनांक: 15वीं अक्टूबर, 2020

1. यह पुनरीक्षण भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 341, 323, 308, 504 और 506 के तहत पंजीकृत लोहसिंहना थाना काण्ड संख्या 122/2019 से उत्पन्न हुआ आपराधिक अपील संख्या 07/2020 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हजारीबाग द्वारा दिनांक 29.01.2020 को पारित निर्णय/आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता (विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित या पाये जाने वाला किशोर) की जमानत प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए0पी0पी0 को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर सामग्रियों के अवलोकन पर, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 03.10.2019 से हिरासत में है।

आरोप की प्रकृति को देखते हुए और हिरासत की अवधि पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को लोहसिंहना थाना काण्ड संख्या 122/2019 के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग के संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रूपया का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त पर कि जमानतदारों में से एक पिता या करीबी रिश्तेदार होगा जो यह वचन देगा (i) याचिकाकर्ता का अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर याचिकाकर्ता किसी भी असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में नहीं आता है और (iii) परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष किशोर/याचिकाकर्ता को प्रस्तुत करेगा जब बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है। परिवीक्षा अधिकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में, याचिकाकर्ता/किशोर की जमानत रद्द करने के प्रभाव के लिए आवश्यक आदेश पारित करने के लिए बोर्ड स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता/किशोर जांच के समापन तक बोर्ड को सहयोग करते रहेंगे और उसके समक्ष उपस्थित होंगे।

4. पूर्वोक्त दिशा-निर्देश के साथ, पुनरीक्षण को एतद्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)